(19)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
समक्षः डा0 मधु खरे
सदस्य

अपील प्रकरण कमांक 1233–दो/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–04–2015 पारित द्वारा आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल प्रकरण कमांक 48/अ–74/2014–15.

———

रामेश्वर प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री जगन्नाथ गुप्ता,
निवासी –ग्राम टेंघा, तहसील जैतपुर, जिला
शहडोल, हाल –कोरजा रोड, काली मंदिरन के पास,
बिजुरी, जिला अनूपपुर म.प्र.

——— अपीलर्थी

विरूद्ध

उर्मिला गुप्ता पुत्री श्री रामसखे गुप्ता,
निवासी –ग्राम टेंघा तहसील जैतपुर, जिला
शहडोल म.प्र.

——— प्रत्यर्थी

———

श्री आर0डी0 शर्मा अभिभाषक – अपीलार्थी
श्री राम रहीस राव अभिभाषक – प्रत्यर्थी

———

:: आदेश ::

(दिनांक २२ जनवरी 2016 को पारित)

यह अपील म.प्र. भू– राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44(1) के अन्तर्गत आयुक्त, शहडोल संभाग शहडोल के आदेश दिनांक 28–04–2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2/ अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक रामेश्वर प्रसाद गुप्ता द्वारा आयुक्त शहडोल संभाग को संहिता की धारा 29 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत कर अनुविभागीय अधिकारी जैतपुर के प्रकरण कमांक

02/अपील/2011–12 को अन्य सक्षम न्यायालय में अन्तरित किया जाये। दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात आयुक्त ने आदेश दिनांक 28–4–15 के द्वारा आवेदक का आवेदन अमान्य किया। आयुक्त के उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह तर्क किया कि अपीलार्थी द्वारा आयुक्त के समक्ष अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण कमांक 02/अपील/2011–12 को अंतरिम किये जाने हेतु धारा 29 का आवेदन प्रस्तुत किया था उसी समय अनावेदक की ओर से राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत होकर प्रचलित थी। यह भी तर्क किया कि आयुक्त द्वारा धारा 29 के आवेदन पर निर्णय लिया जाना चाहिए था, परन्तु आयुक्त द्वारा प्रकरण के गुण–दोष पर भी निष्कर्ष निकालने में त्रुटि की है क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में प्रकरण का अंतिम निराकरण नहीं हुआ है यदि आयुक्त द्वारा प्रकरण के गुण–दोष पर किसी प्रकार का निष्कर्ष निकाला जाता है तो वह अधीनस्थ न्यायालय पर बाध्यकारी होगा। अतः आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाये।

4/ प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क दिया कि अपीलार्थी द्वारा मात्र पक्षपात की संभावना के आधार पर आयुक्त के समक्ष धारा 29 का आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसे आयुक्त ने अमान्य करने में उचित कार्यवाही की है। प्रत्यर्थी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश को चुनौती दी गई थी उससे धारा 29 के आवेदन पर किसी तरह का प्रभाव नहीं था। यह भी तर्क दिया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रकरण का गुण–दोष पर निराकरण होना है जहां दोनों पक्षों को अवसर उपलब्ध है। अतः अपील निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में संलग्न अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा

अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण कमांक 02/अपील/2011–12 को किसी अन्य समकक्ष अधिकारी के यहां सुनवाई हेतु अंतरित किये जाने हेतु संहिता की धारा 29 के अन्तर्गत अवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसपर दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात आयुक्त ने आदेश दिनांक 28–4–15 में निम्नानुसार निष्कर्ष निकाला है–

> *"4. अधीनस्थ के प्रकरण में संलग्न नामांतरण पंजी ग्राम टेंघा के प्रविष्टि कमांक–10 के अवलोकन से यह पाया कि रामराखे (वसीयतकर्ता) जो तत्समय मृत है की पत्नी तत्समय मृत एवं पुत्री उर्मिला विधिक वारिस होने से हितबद्ध व आवश्यक पक्षकार है। अनावेदिका उर्मिला को सुने बिना ही नामान्तरण किया गया है। आवेदक जिस वसीयत का उल्लेख कर रहा है उसे न तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रकरण में और न ही इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है। अनावेदिका हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार होने से अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। अतः आवेदक का आवेदन ठोस तथ्यों एवं प्रमाण के अभाव में अमान्य किया जाता है। अधीनस्थ का प्रकरण आगामी कार्यवाही के लिए वापस किया जाए, तत्पश्चात प्रकरण नस्तीबद्ध कर संचित अभिलेखागार किया जाए।"*

आयुक्त के समक्ष धारा 29 के आवेदन पर पंजीबद्ध प्रकरण में उक्त अनुसार आयुक्त द्वारा प्रकरण के अन्य बिन्दुओं जैसे विधिक वारिस होकर हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार होने संबंधी जो निष्कर्ष निकाला है वह उचित नहीं है। किसी न्यायालय में जिस बिन्दु के अनुतोष हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो विधिअनुसार उसी बिन्दु पर निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। यदि किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय में विचाराधीन किसी बिन्दु पर निष्कर्ष निकाला जाता है तब उसका अधीनस्थ न्यायालय में निराकरण में प्रभाव पड़ सकता है। आयुक्त द्वारा धारा 29 का आवेदन ठोस तथ्यों एवं प्रमाण के अभाव में अमान्य करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की है, परन्तु जहां तक अन्य बिन्दुओं पर निष्कर्ष का प्रश्न है उसे विधिसंगत नहीं कहा जा सकता।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। आयुक्त के आदेश दिनांक 28–4–15 में धारा 29 के आवेदन निरस्त करने का निष्कर्ष स्थिर रखते हुये प्रकरण के गुण–दोष से संबंधित उपरोक्त निष्कर्ष निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ भेजा जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देने के उपरांत स्वविवेक से गुण–दोष के आधार पर निराकरण करें।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल, म0प्र0,
ग्वालियर